न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 34/18

1. मोत्या बेवा रामकरण जाति मीना निवासी माणोली तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर
2. चिरंजी लाल पुत्र पून्या जाति मीना निवासी माणोली तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर
3. लोहडया पुत्र पून्या जाति मीना निवासी माणोली तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर
4. रामजीलाल
5. सन्तोष
6. विनोद पिसरान श्रीफूल
7. परसादी पत्नि स्व0 श्रीफूल जातियान मीना निवासी माणोली तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. प्रभू पुत्र हजारी जाति मीना निवासी माणोली तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर
2. राधेश्याम पुत्र कल्याण जाति मीना निवासी माणोली तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर

.... रेस्पोडेन्टान

(अपील विरूद्व निर्णय व डिग्री न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर मु0न0 68/10 निर्णय दिनांक 21.12.17)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांटान की ओर से श्री भोलाशंकर शर्मा
2. रेस्पोडेट की ओर से श्री चिरंजी लाल सैनी

निर्णय

दिनांक 28.1.2020

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर के मु0नं0 68/10 निर्णय व डिग्री दिनांक 21.12.17 के विरूद्व पेश की गई है । अपील के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो/वादी ने घोषणा बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादीगण के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम माणोली मे खाता संख्या नई 106 पुरानी 118 मे दर्ज ख0न0 379 रकबा 12 विस्वा भूमि स्थित है। यह भूमि वादी ने प्रहलाद पुत्र गोविन्दा जाति जांगिड निवासी मलारना डूँगर से जरिये रजिस्ट्री क्रय की थी। जिसका नियमानुसार नामा0 खुल चुका है। खरीद के पश्चात से वादी/रेस्पो0 इस भूमि पर लगातार काश्त करता चला आ रहा है। वादीगण के उक्त ख0न0 379 के पश्चिम दिशा की और प्रतिवादी न0 1 लगायत 4 की खातेदारी की आराजी है। वादीगण एव प्रतिवादीगण की एक ही डोल मेड है। प्रतिवादीगण के मन मे बदयान्ति आ जाने के कारण उन्होने वादीगण के उक्त खेत की पश्चिम दिशा की दक्षिणी कोने की मेड को दिनांक 1.6.09 को ट्रेक्टर से तोड कर एक गठठा भूमि पर अतिक्रमण कर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने खेत ख0न0 349 मे मिला लिया है। वादीगण ने मना किया तो प्रतिवादीगण वादी को जान से खत्म करने पर आमादा हो गये। वादीगण दिनांक 15.9.09 को अपने खेत ख0न0 379 पर जोत लगाने गये तो वादीगण को प्रतिवादीगण ने

Scanned by CamScanner

जोत नही लगाने की धमकी दी एवं कहा कि धीरे धीरे हम तुम्हारे सम्पूर्ण खेत पर अतिक्रमण कर कब्जा करेगे तथा तुम्हे इस वर्ष की फसल काश्त नही करने देगे। यह वाद कारण उत्पन्न होने पर रेस्पो/वादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र पेश कर इस्तदुआ चाही गई कि उदघोषणा इस अमर की फरमाई जावे कि ग्राम माणोली मे वादीगण के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी 379 रकबा 12 विस्वा के पश्चिम मेड के दक्षिणी कोने पर एक गठठा भूमि पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण को वादीगण की उपरोक्त भूमि से बेदखल कर कब्जा वादीगण को संभलाया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण की कब्जे काश्त की खातेदारी उक्त आराजीयात के कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न नही करे ना ही किसी और से करावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पो0 का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब गई। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील मे बताया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिग्री खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का विधि पूर्वक अध्ययन किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 का निर्णय रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के खिलाफ किया है। जिससे साबित है कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधिनस्थ न्यायालय मे झूठे तथ्यो पर बदमंशापूर्वक मुकदमा पेश किया है। जिसका उद्वेश्य सिर्फ अपीलांट को परेशान करना है। तनकी संख्या 1 मे अधिनस्थ न्यायालय ने स्पष्ट माना है कि अपीलांट द्वारा रेस्पो0 की कोई भूमि नही दबाई है। इसी से साबित था कि अपीलांट व रेस्पो0 के बीच भूमि दबाने बाबत कोई विवाद मौके पर था ही नही। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 2 का निर्णय अपीलांट के खिलाफ गलत किया है। ख0न0 379 रेस्पो0 की खातेदारी का है एवं ख0न0 349 अपीलांट की खातेदारी की हे। ये तटस्थ स्थिति अधिनस्थ न्यायालय ने इस तनकी को निर्णित करते हुए यह माना है कि इन दोनो ख0नम्बरान के बीच धोरे का विवाद है। अधिनस्थ न्यायालय के सामने यह तथ्य भी स्पष्ट था कि इस धोरे का मुकदमा न्यायालय मुन्सिफ कोर्ट बौली मे चल रहा है। जिस बाबत स्पष्ट रूप से अपीलांट ने अपने जबाब दावे मे तथ्य अंकित किये थे। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के पेज संख्या 5 के पैरा न0 2 पर सहमति व्यक्त की है। ऐसी स्थिति मे जबकि न्यायालय सिविल न्यायाधीश बौली द्वारा दिनांक 11.3.14 को उक्त धोरे बाबत मुकदमा न0 16/2009 मे निर्णय दिया जा चुका है तो अधिनस्थ न्यायालय को तनकी संख्या 2 को निर्णित करने का कोई अधिकार शेष नही रहता। क्योकि जब सिविल कोर्ट प्रोपर रूप से जिस बिन्दु को तय

Scanned by CamScanner

कर चुका है उस बिन्दु को कानूनी रूप से रेवेन्यू कोर्ट तय कर सकता है ना ही सिविल कोर्ट के फैसले के उपर बैठ सकता है। अधिनस्थ न्यायालय का फैसला तनकी संख्या 2 की हद तक धारा 11 सीपीसी की मन्शा से भी हिट होता है। सिविल कोर्ट द्वारा धोरे बाबत निर्णय कर दिये जाने के कारण अधिनस्थ न्यायालय का तनकी संख्या 2 का फैसला खिलाफ कानून एवं विदाउट ज्यूरिडिक्शन है। तनकी संख्या 3 का निर्णय भी अधिनस्थ न्यायालय ने गलत किया है। तनकी संख्या 3 मे अधिनस्थ न्यायालय को यह तय करना था कि अपीलांट ने रेस्पो0 की कोई भूमि नही दबा रखी है जो अधिनस्थ न्यायालय तनकी संख्या 1 का निर्णय करते हुए मान चुका है। जब तनकी संख्या 1 मे अधिनस्थ न्यायालय यह मान चुका है कि अपीलांट ने रेस्पो0 की कोई जमीन नही दबा रखी तो इस तनकी का निर्णय अपीलांट के पक्ष मे नही करके अधिनस्थ न्यायालय ने भूल की है। तनकी संख्या 4 का निर्णय भी अधिनस्थ न्यायालय अपीलांट के खिलाफ किया है। विवादित धोरे बाबत वर्ष 2009 से ही सिविल कोर्ट मे मुकदमा पेंडिग था तो फिर यह दावा इस न्यायालय मे पोषणीय ही नही था। अधिनस्थ न्यायालय की फाईन्डिग परवर्स एवं निरस्त योग्य है। दौराने दावा ही श्रीफूल जो कि अपीलांटान संख्या 4 के पिता/पति है कि मृत्यु हो चुकी थी एवं रेस्पो0 ने मृतक श्रीफूल के कायम मुकाम को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नही की गई है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक व्यक्ति के खिलाफ निर्णय पारित किया है। जो कानूनन शून्य है एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिग्री अपास्त योग्य है। धोरे के बाबत निर्णय देने का अधिकार अधिनस्थ न्यायालय को नही था। अधिनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया दावा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की परव्यू मे नही आता है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय इल्लीगल,इम्प्रोपर होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय का कोई इल्म नही था दिनांक 6.4.18 को वकील द्वारा अपीलांट को बताया कि आपके खिलाफ निर्णय हों गया है। जब सर्वप्रथम अपीलांट को जानकारी हुई। अपीलांट द्वारा वकील से मिलकर नकल प्राप्त कर अपील पेश की है। अपीलांट को जानकारी समय पर नही होने से डिले का कन्डोन किया जाना आवश्यक है फिर भी दफा 5 का प्रार्थना पत्र पृथक से लगाया जा रहा है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिग्री अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस मे तर्क दिया कि रेस्पो0 के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम माणोली मे खाता संख्या नई 106 पुरानी 118 मे दर्ज ख0न0 379 रकबा 12 विस्वा भूमि स्थित है। यह भूमि रेस्पो0 ने प्रहलाद पुत्र गोविन्दा जाति जांगिड निवासी मलारना डूँगर से जरिये रजिस्ट्री क्रय की थी। जिसका नियमानुसार नामा0 खुल चुका है। खरीद के पश्चात से रेस्पो0 इस भूमि पर लगातार काश्त करता चला आ रहा है। रेस्पो0 के उक्त ख0न0 379 के पश्चिम दिशा की और अपीलांटान की खातेदारी की आराजी है। रेस्पो एव अपीलांटान की एक ही डोल मेड है। अपीलांटान के मन मे बदयान्ति आ जाने के

Scanned by CamScanner

कारण उन्होने रेस्पो0 के उक्त खेत की पश्चिम दिशा की दक्षिणी कोने की मेड को दिनांक 1.6.09 को ट्रेक्टर से तोड कर एक गठठा भूमि पर अतिक्रमण कर अपीलांटान ने अपने खेत ख0न0 349 मे मिला लिया है। जब रेस्पो0 द्वारा अपीलांटान से मना किया तो उन्होने साफ इंकार कर झगडा करने पर उतारू होने पर ही रेस्पो/वादीगण द्वारा वाद पत्र पेश किया गया था। अपीलांट का कथन है कि धोरे के बाबत सिविल न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है। सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 11.3.14 को वादी/रेस्पो0 के पक्ष मे डिग्री जारी कर अंकित किया है कि "ग्राम माणोली के ख0न0 349 एवं 379 के मध्य पानी के धोरा व 4 फिट चौडा कदमी रास्ता है, जो नजरी नक्शे मे आई.ए.एफ.डी. से दर्शित है प्रतिवादीगण/अपीलांटान उक्त धोरे मे होकर वादीगण/रेस्पो0 को अपने खेतो तक आवागमन करने, जानवर आदि लाने ले जाने ,रास्ते का उपयोग करने मे बाधा कारित करने से स्थाई रूप से व्यादेशित रहे। वाद पत्र के संलग्न नजरीनक्शा ई स्थान पर लगे सार्वजनिक हैण्डपम्प को प्रतिवादीगण / अपीलांटान अतिक्रमण कर अपने खेत की बाउन्ड्री मे लेने से स्थाई रूप से व्यादेशित रहे एवं वे वादीगण/रेस्पो0 व अन्य को उक्त हैण्ड पम्प का उपयोग उपभोग करने मे बाधा कारित करने से स्थाई रुप से व्यादेशित रहे। वादीगण/रेस्पो0 के पक्ष मे उदघोषणा इस आशय की जारी की जाती है कि नजरी नक्शा मार्क 'के' के स्थान पर प्रतिवादीगण / अपीलांट द्वारा पानी के धोरे व आम रास्ते मे लगाई गई मिटटी की डाट को हटाया जावे" इस प्रकार माननीय सिविल न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र के सर्मथन मे प्रस्तुत विभिन्न दस्तावेजात का विधि पूर्वक मनन एवं प्रकरण मे तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी का विधि पूर्वक विवेचन करने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो विधि अनुरूप है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2050 से 2053 वाके ग्राम माणोली के ख0न0 379 रेस्पो/वादी प्रभू पुत्र हजारी एवं राधेश्याम पुत्र कल्याण जाति मीना के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा जमाबंदी सम्वत 2050–53 के ख0न0 349 वाके ग्राम माणोली मोतिया पत्नि रामकरण , चिरंजी, श्रीफूल, लोहोडया पिसरान पून्या सा0 देह हिस्सा बरावर अपीलांट/प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उभयपक्ष के बीच विवाद धोरे को लेकर है। धोरे के बाबत निर्णय माननीय सिविल न्यायालय द्वारा पारित किया जा चुका है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी का पूर्ण विवेचन करने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय जो निर्णय पारित किया है उसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किया जाना उचित है।

Scanned by CamScanner

अतः आदेश है कि अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर के मु0न0 68/10 निर्णय व डिग्री दिनांक 21.12.17 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.1.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

28.1.20

(बी0एल0रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2020.02.27 15:55:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: